राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

कमांक प.3 (17)राज.6 / 2021/98 जयपुर, दिनांक– 06-10-2021

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1955) की धारा 251–ए व उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के लिए उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों का, राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा / राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा, जिनको प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान–2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

06/10/2021
(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू–प्रबंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 06-10-21 में प्रकाशन हेतु।
12. रा.वि.रा.राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
13. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

06/10/2021
शासन उप सचिव